पत्र संख्या- 131/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 02.04.2026

थाना मेहनाजपुर , जनपद आजमगढ़ ।

थाना मेहनाजपुर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोकशी की घटना में संलिप्त 03 गोतस्कर घायल/गिरफ्तार एवं 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.03.2026 को थाना मेहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झिन्झपुर सरैया के सिवान में प्रतिबंधित पशु के अवशेष बरामदगी प्रकरण में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 के पैर में लगी है गोली ।

अभियुक्तों के पास से 02 अवैध असलहा, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, 02 चापड़, 01 छूरी व 01 रस्सी बरामद।

घायल बदमाशों में 01 के हिस्ट्रीशीटर एवं गैगेस्टर एक्ट का अपराधी है।

प्रतिबन्धित पशुओं का वध कर बिक्री किया करते थे बदमाश

घटना/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार, के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज भुपेश कुमार पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 01/02.04.2026 की रात्रि लगभग 02:20 बजे थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी।

➡ इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि को ग्राम झिंझपुर सरैया मे गोकशी की घटना करने वाले अपराधी सिधौना मार्ग को पकड़कर ग्राम मानिकपुर में सिवान की तरफ आ रहे है जो आज रात मे फिर से किसी गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक मे है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मेहनाजपुर मय पुलिस बल द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई।

➡ स्वयं को पुलिस बल से घिरता देख बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किये, पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दी गई, किन्तु बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें 03 बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान-

1. मोहित उर्फ मोहीद उर्फ मुफीद पुत्र कमरूद्दीन उर्फ सेवक निवासी ग्राम तरावं थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
2. अमन गोड़ पुत्र विजय बहादुर गोड़ उर्फ खुरचुन निवासी ककरहवा बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम साफीपुर सरपहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
3. एकलाख उर्फ पतरका पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
4. मोबिन उर्फ कलाम उर्फ गागा पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम लहुआ कलां थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष (गिरफ्तार अभियुक्त)

➡ घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है ।

➡ घायल बदमाश एकलाख उर्फ पतरका थाना देवगांव का हिस्ट्रशीटर एवं गैगेस्टर एक्ट का अपराधी है।

➡ घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर
4. दो अदद चापड़
5. एक अदद छूरी
6. एक अदद रस्सी

पूछताछ का विवरण-

➡ पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे सभी आपस में मिलकर सुनियोजित ढंग से प्रतिबन्धित पशुओं को पकड़कर रात्रि में सुनसान एवं निर्जन स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस का उपभोग/बिक्री करते थे।

➡प्रतिबन्धित पशुओं को चिन्हित कर अवसर का लाभ उठाकर पकड़ते थे ।

➡ वध कर अवशेषों को नदी/नालों, सिवान में फेंकतें थे अथवा जमीन में गाड़कर देते थे, जिससे अपराध का खुलासा न हो सके।

➡ पुलिस की निगरानी से बचने हेतु अभियुक्त बार-बार स्थान परिवर्तन करते थे तथा अपनी आपराधिक गतिविधियों को गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।

पंजीकृत अभियोग-

1-अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास-

1- एकलाख उर्फ पतरका

1. मु0अ0सं0 241/21 धारा 3/5/5ए/8 गोवध0नि0अधि0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
2.मु0अ0सं0– 172/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0- 120/22 धारा 307 भादवि व धारा 3/5/8 गोवध0नि0अधि0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
4. मु0अ0सं0 272/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 245/21 धारा धारा 3/5/8 गोवध0नि0अधि0 थाना चंदवक जनपद जौनपुर।
6. मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27/4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

2- मोहित उर्फ मोहीद उर्फ मुफीद

1. मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

3- अमन गोड़

1. मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

4- मोबिन उर्फ कलाम उर्फ गांगा

1. मु0अ0सं0– 385/24 धारा 305 ,317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27/4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी व मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष मनीष पाल 2- उ0नि0 दीपक कुमार 3- उ0नि0 ओमप्रकाश कन्नौजिया 4- उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा 5- हे0का0 कालिका यादव 6- हे0का0 महेन्द्र यादव 7- हे0का0 लवलेश पाण्डेय 8- हे0का0 दशरथ कुमार 9- हे0का0 हरिन्दर सिंह 10- का0 मोनू यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।